न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 204 / 2023 | दायर दिनांक 05.06.2023 | निर्णय दिनांक 30.01.2024

उनवान

1. श्री भेरू पुत्र भुरा नाई जाति नाई आयु वयस्क निवासी दादिया, तह0 एवं जिला भीलवाडा (राज0

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री उदयलाल पिता रामा सुथार जाति जांगिड़ आयु वयस्क निवासी दादीया, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
2. श्री सोहन पिता जगन्नाथ नाई जाति नाई आयु वयस्क निवासी दादीया, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
3. श्री गोवर्धन पिता रामचन्द्र गाडरी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी दादीया , तह0 एव जिला भीलवाडा।
4. श्रीमती बदामी पत्नी सांवर गाडरी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी दादीया तह0 एव जिला भीलवाडा।
5. श्रीमती जमनादेवी पत्नी शान्ति लाल शर्मा जाति ब्राहम्मण आयु वयस्क निवासी दादीया तह0 एवं जिला भीलवाडा।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा (राज0)

–विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी मांगी लाल सेन
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 05 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा दादीया प0ह0 गुन्दली भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पांसल तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2070–2073 के खाता संख्या 183 की अभिलिखित आराजियात 594, 658, 672, 674, 675, 676, 677, 678 कुल किता 08 कुल रकबा 2.0864 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एव कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जरिये तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 05 के समन बाद तामिल प्राप्त होने पर भी नियत पेशी पर आदिनांक को अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 05 के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। उपस्थित प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की इस्तदुआ की गई। हाजिर उपस्थित प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी करवाना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात मौजा के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जेर बहस की नपती करा सीमांकन पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपरोक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 ,राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि दांतेया प0ह0 गुन्दली भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पांसल तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2070–2073 के खाता संख्या 183 की अभिलिखित आराजियात 594, 658, 672, 674, 675, 676, 677, 678 कुल किता 08 कुल रकबा 2.0864 हैक्टेयर भूमि फरिकेन मुकदमा को सूचित किया, जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा